

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे |||/निप लिंक न. 11861 / 2319

दिनांक :- 26/06/19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मिथिलेश यादव [लिंक न. 11861] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय आयुक्त, शिक्षा विभाग (उच्च), जयपुर - [5133] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 20/02/2018 से 28/02/2018 तक 9 दिवस

कुल 9 दिवस

उक्त कुल 9 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री मिथेलश यादव की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

२३१९

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे |||/निप लिंक न. 11861 / 2319

दिनांक :- 26/06/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, शिक्षा विभाग (उच्च), जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री मिथेलश यादव [11861] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय आयुक्त, शिक्षा विभाग (उच्च), जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

✓  
(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक |||)